

खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, हरियाणा

विभाग द्वारा SC Component Scheme तथा other than SC Component Scheme के अर्न्तगत वर्ष 2020-2021 (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक) की खेल उपलब्धियों के आधार पर SC and Other-than-SC छात्र/छात्रा पात्र खिलाड़ियों से छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। सभी पात्र खिलाड़ी अपने छात्रवृत्ति के आवेदन भरकर अपने संबंधित जिला के जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 11.03.2022 तक जमा करवायेंगे। अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र का नमूना तथा अन्य शर्तें विभाग की वेबसाईट www.haryanasports.gov.in पर उपलब्ध है।

निदेशक
खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग
हरियाणा, पंचकुला।